प्र0नं0 108/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला करौली राज.

तारीख रजू :– 09.01.2022

मु.नं.:– 108/2022

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

लक्ष्मण सिंह पुत्र छोटू सिंह आयु 58 साल जाति राजपूत निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

सायल

बनाम

1. शिम्भू सिंह पुत्र भौम सिंह आयु 45 साल जाति राजपूत निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) हाल निवासी बस स्टेण्ड 24 ऐ पशुपति नाथ नगर चक गैटोर जयपुर (राज0)
2. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– हंसराम गुर्जर एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर – सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांक– 29/08/25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 349 में वर्णित खसरा नम्बर 368/0.06, 451/0.09, 452/0.01, 453/0.01, 457/0.10, 914/0.02, 964/0.05, कुल किता 7 कुल रकवा 0.34 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम में स्थित है। हाल रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में इस भूमि में सायल लक्ष्मण सिंह हिस्सा 30/48 का खातेदार काश्तकार है। बकिया हिस्सा के मूल दावे के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सहखातेदार है। इस भूमि से गैरसायल नं0 1 का कोई संबंध किसी भी का नहीं है ना ही इनके नाम रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज है। सायल व सहखातेदार मूल दावे के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने आपस में पूर्वजों के समय से ही उक्त भूमि का आपसी सहमति से मौके पर बटवारा कर लिया है जिसमें खसरा नम्बर 457 रकवा 0.10 है0 में रकवा 0.05 है0 भूमि सायल के हिस्से व कब्जे में आई है तथा अन्य भूमि भी हिस्से अनुसार व खातेदारी अनुसार कब्जा है। गैरसायल नं0 1 चालाक बेईमान किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

का व्यक्ति है उसे करीब 150 वर्गगज जमीन पर खसरा नम्बर 457 में जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना कर अतिचार कर लिया है।

सायल दिनांक 30.08.2022 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 457 की देखभाल कर रहा था कि गैरसायल नं0 1 सायल के पास आया और सायल को धमकी दी िकइस भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रया करूंगा तुम्हें बेदखल करके रहूँगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो सायल ने इनको समझाया कि तुमने जो करीब 150 वर्गगज भूमि पर अवैध रूप से अतिचार किया है इसको तुरन्त हटालो तथा इस भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय मत करो लेकिन वे नहीं माने इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल नं0 1 को ता फैसला दावा इस अम्र से पावन्द फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 457 रकवा 0.10 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे तथा किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय नहीं करे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक सायल क्षति पहुँचति हो तथा गैरसायल संख्या 4 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया है।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार करते हुये बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 457 रकवा 0.10 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम में स्थित होना स्वीकार है। सायल द्वारा समस्त कथन एकदम गलत मनगढन्त व कपोल कल्पित अंकित कर दिये है उक्त आराजी से सायल का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है सायल रेवेन्यू रिकार्ड में नाम होने का गलत फायदा उठाना चाहता है। मौके पर आराजी में गैरसायलान की रिहायश हो रही है अन्य आराजी से गैरसायल का कोई संबंध नहीं है। गैरसायल लठैत व गिरोह वन्द व्यक्ति नहीं है बल्कि शान्ति प्रिय व्यक्ति है उक्त आराजी पर गैरसायलान काबिज एवं दखील है तथा मौके पर मकान का निर्माण हो रहा है चारों तरफ से बाउण्ड्री वाल हो रही है। सायल द्वारा तथाकथित तारी 30.08.2022 एकदम गलत अंकित की है जब सायल का खसरा नम्बर 457 पर कब्जा ही नहीं है तो धमकी देने का या गाली गलोच करने का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है गैरसायलान के कब्जे में होने के कारण तथा गैरसायलान द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है गैरसायलान द्वारा [illegible] 8.2022 को निर्माण नहीं किया है बल्कि 60–65 साल पूर्व से ही [illegible] जवाब / काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि सायल का आराजी विवादग्रसम खसरा नम्बर 457 रकवा 0.10 है0 के किसी भी रकवे पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। उक्त आराजी को गैरसायलान की मां सोहन कवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

पत्नि भौमसिंह द्वारा गुलाबचन्द से करी 60–65 साल पूर्व खरीद की थी तभी से गैरसायल काबिज एवं दखील है तथा मकानियात का निर्माण कर रख है व बाउण्ड्री वाल कर उपयोग उपभोग कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम खोहरा के खसरा नम्बर 368/0.06, 451/0.09, 452/0.01, 453/0.01, 457/0.10, 914/0.02, 964/0.05, कुल किता 7 कुल रकवा 0.34 है0 की खातेदारी सायलान के नाम तथा मूल दावे के प्रतिवादी के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 457 में निर्माण न करे हेतु प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा गया। उक्त स्थिति में मूल वाद में दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय तय होना है। प्रतिवादी ने जबाव में बताया कि उक्त निर्माण 60–70 वर्ष पुराने है। अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त खसरा नम्बर 457 में गैरसायल नवीन निर्माण नहीं करे संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में सिद्ध होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि अप्रार्थी को पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खोहरा के आराजी खसरा नम्बर 457 रकवा 0.10 है0 में गैरसायल को नवीन निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। इस न्यायालय निर्णय दिनांक 01.09.2022 ताफैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 15:00:34 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली